12/25 पत्रा० पेश हुई। बकु० उप०। दावा वादीगण अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 RTA के तहत स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम कलमजद किया जाकर वादीगण संख्या 1 लगायत 4 को 5 लगायत 9 के साथ व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 का नाम बाहिस्सा बराबर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Sd/-

9/2. रजनीदेवी पुत्री मेवाराम जाति पंजाबी खत्री निवासी पंजाबी मौहल्ला नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9/3. पुष्पादेवी पुत्री मेवाराम जाति पंजाबी खत्री निवासी पंजाबी मौहल्ला नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादीगण

बनाम

1. देवकीनंदन पुत्र मंशाराम जाति पंजाबी खत्री निवासी पंजाबी मौहल्ला नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. पीतम पुत्र मंशाराम जाति पंजाबी खत्री निवासी पंजाबी मौहल्ला नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. हरीशचन्द्र पुत्र काशीराम जाति पंजाबी खत्री निवासी पंजाबी मौहल्ला नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. मदनलाल पुत्र चिम्मनलाल जाति पंजाबी खत्री निवासी पंजाबी मौहल्ला नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. मोहिनी पत्नी विजय जाति पंजाबी खत्री निवासी पंजाबी मौहल्ला नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. रजनीदेवी पत्नी हरीश कुमार जाति पंजाबी खत्री निवासी पंजाबी मौहल्ला नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. पुष्पादेवी पत्नी दीपक कुमार जाति पंजाबी खत्री निवासी पंजाबी मौहल्ला नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. राज0 सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
9. सब रजिस्ट्रार नदबई।

प्रतिवादीगण

उपस्थितः—श्री महेन्द्र मीणा एड. (वादीगण की ओर से)
श्री फूलसिंह एड. (प्रतिवादीगण की ओर से)

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के सारगर्भित व संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है—

1. यह कि मुकदमा फरीकेन में वादी एवं प्रतिवादीगण में से ऐसा कोई सख्श नहीं है जो दावा लड़ने योग्य न हो।
2. यह कि विवादित आराजी खाता संख्या 565 के खसरा नंबर 1886 रकबा 0.04, 1893 रकबा 0.43 व खाता संख्या 695 के खसरा नंबर 862 रकबा 0.48, 863 रकबा 0.61, खाता संख्या 768 के खसरा नंबर 833 रकबा 1.19, 1887 रकबा 0.03, 1888 रकबा 0.01, 1921 रकबा 0.67 हैक्टेयर जिनके साबिक खसरा नंबर 1480 रकबा 3 बिस्वा व

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

1486 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 611 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, 1481 रकबा 3 बिस्वा, 1513 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, 639 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, 640 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा वाके कस्बा नदबई प्रथम तहसील नदबई प्रथम में स्थित है। यह आराजी वादीगण के पिता व बाबा से प्राप्त हुई है चूंकि वादीगण शरणार्थी की हैसियत से पाकिस्तान से भारत आए थे जिसके आधार पर फैमिली कार्ड के परिवार के बनाकर जमीन आवंटित की गई थी उसी अनुसार गैर खातेदारी व खातेदारी आज तक राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। सजरा वादपत्र पर अंकित है।

3. यह कि विवादित आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी है जिस पर सभी मनबट से काश्त करते चले आ रहे हैं। इस आराजी संबंधित इन्तकाल संख्या 988 जो खाता संख्या 571, 577, 573 दिनांक 01.06.1986 विरासतन मृतक भानाराम पुत्र साधूराम की विरासत उसके वारिसान के नाम तहसीलदार नदबई द्वारा राजस्व अभियान दिनांक 01.06.1986 में निर्णित की गई थी जिसकी अपील निर्णय दिनांक 14.12.1992 एसडीएम भरतपुर दिनेश कुमार यादव द्वारा अंतर्गत धारा 75 एलआर एक्ट के तहत सुनवाई कर तहसीलदार नदबई को केवल मृतक के परिवार कार्ड में अंकित पुनर्वास संबंधित परिजनों की जांच कर पुनः दाखिला खारिज संबंधित कार्यवाही निर्णित करें इस आशय से पत्रावली रिमांड की गई थी क्योंकि आज तक इस पत्रावली का निर्णय नहीं हो सका है और वो दाखिल खारिज पूर्ववत स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में अंकित होने के कारण वादीगण के हकों के विपरीत प्रतिवादी संख्या 1 व 2 नाजायज फायदा उठाकर पुर्नवास कार्ड की अनेदेखी कर जो कार्ड संख्या 562 भानाराम पुत्र साधूराम व उसमें अंकित वारिसान टालाराम, मेवाराम व केसरदास व देवीबाई व अमृत बाई पुत्री करमाबाई पत्नी अंकित है। इसी प्रकार कार्ड संख्या 563 मंसाराम पुत्र भानाराम व उसमें अंकित वारिसान विद्याबाई पत्नी व कान्तादेवी पुत्री अंकित है।

4. यह कि भानाराम व मंसाराम पाकिस्तान से शरणार्थी बतौर दोनों अलग–अलग परिवार से कायम होकर अलग अलग जमीन खातेदारी प्राप्त की थी। मंसाराम द्वारा दौतरफा चाल चलकर वादीगण के पिता भानाराम की जायदाद में विरासतन हक लेकर बदनीयती पूर्ण तरीके से राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम अंकित करा लिया जिसे वादीगण जरिए दावा निरस्त कराते हुए अपने नाम विवादित आराजी मुतनाजा में न्यारानूर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं चूंकि मंसाराम ने अपने परिवार कार्ड संख्या 563 के द्वारा पुनर्वास अधिकार के तहत अपने न्यारानूर खातेदारी प्राप्त की थी और भानाराम का परिवार मय टालाराम, मेवाराम व केसरदास के साथ कार्ड संख्या 562 के तहत अलग हक व हकूक प्राप्त किए थे परन्तु भानाराम की संतान होने के कारण मंसाराम पुत्र भानाराम द्वारा पुनर्वास कार्ड की प्राप्त जमीन के अलावा विरासत हक लेते हुए कानून के विरूद्ध कार्यवाही की है जो काबिल गौर अदालत है क्योंकि भानाराम व मंसाराम दोनों के परिवार कार्ड अलग अलग शरणार्थी बतौर पूर्व से ही बने हुए हैं और उसी के अनुसार विभाजन अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रह हैं परन्तु दाखिल खारिज संख्या 988 में मंसाराम की बदसलूकी व बदयांति का स्पष्ट

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

उदाहरण पेश कर विरासतन व कार्ड द्वारा प्राप्त आराजी का अधिकतम हिस्सा बेचान कर भूमिहीन बतौर कार्यवाही दर्शाया बदयांति का प्रतीक है व काबिल गौर अदालत है। यह कि दिनांक 30.05.2017 को वादीगण जब अपने खेतों में जोत आदि दिलवा रहे थे तो प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने स्पष्ट धमकी दी है कि राजस्व रिकॉर्ड में हमारे नाम विरासतन व कार्ड द्वारा प्राप्त आराजी का अंकन है उसके आधार पर हम जबरदस्ती तुम्हें खते से बेदखल करके कब्जा करेंगे और हमारे नाम इन्द्राजात के आधार पर आराजी मुतनाजा को लठैत किस्म के व्यक्ति को बेचान करके रहेंगे। अगर प्रतिवादीगण उक्त धमकी में कामयाब हो गए तो वादीगण को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिए नकद से न हो सकेगी। अतः वादीगण खिलाफ असल प्रतिवादीगण जरिए स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं।

6. अंत में प्रार्थना की कि विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 2 वादपत्र में वादीगण संख्या 1 लगायत 4 को हाल जमाबंदी के इन्द्राजात में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरासतन हक मृतक भानाराम पुत्र साधूराम के हक व मंसाराम के परिवार कार्ड पुनर्वास विभाग द्वारा जारी अधिकारों के आधार पर हाल में इंतकाल संख्या 988 के तहत किए गए इन्द्राजात कलमजन करा पाने के अधिकारी हैं तथा इसी प्रकार वादीगण संख्या 5 लगायत 9 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 को निस्फ हिस्से पर वादीगण संख्या 1 लगायत 4 के साथ वाहिस्सा बराबर खातेदारी कब्जेकाश्त व पनुर्वास कार्ड द्वारा अंकित परिवारी व्यक्तियों को हकदारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को विरासतन हक से महरूम कराने के अधिकारी हैं और इसी अनुरूप विरासतन अंकन जो भानाराम पुत्र साधूराम से मंसाराम पुत्र भानाराम को परिवार कार्ड के अलावा प्राप्त हुआ है उसे निरस्त करा पाने के अधिकारी हैं। अतः वादीगण प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं कि वादीगण के हक व हकूकों क विरूद्ध प्राप्त खातेदारी व गैर खातेदारी अकन के आधार पर जबरदस्ती कब्जेकाश्त से बेदखल न करें व राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर अन्यत्र आराजी को हस्तांतरण व बेचान न करें तथा ऐसा कोई कार्य न करे जिससे वादीगण के हक व हकूकों पर विपरीत असर पडे।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री फूलसिंह एडवोकेट उपस्थित हुए एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 की ओर से श्री बृजेश शर्मा एडवोकेट उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के विरूद्ध तामील बावजूद न्यायालय हाजा उपस्थित न होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जबाव दावा पेश किया गया जो संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

1. यह कि वादपत्र की मद संख्या 1 स्वीकार है एव मद संख्या 2 राजस्व रिकॉर्ड अनुसार स्वीकार है एवं सजरा आंशिक स्वीकार है। सजरा जबाव दावा में अंकित है। जिसमें टालाराम के एक पुत्र चन्द्रप्रकाश मृतक व उसके पुत्र गौरव को नहीं दर्शाया गया है जिसने अपने अधिकारों बाबत् एक दावा न्यायालय श्रीमान में विचाराधीन है।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

2. यह कि जब वादीगण यह मानकर चल रहे हैं कि आराजी मुतनाजा वादीगण व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी है जिस पर सभी मनबट अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं तो किसी प्रकार का विवाद ही शेष नहीं रहता है। इस प्रकार इसी बिन्दु पर वादपत्र काबिल खारिजी के है। इसके अलावा वादीगण का यह कथन कि इंतकाल संख्या 988 दिनांक 01.06.1986 विरासतन पैतृक भानाराम के वारिसों के नाम तहसीलदार नदबई द्वारा दर्ज कर निर्णित किया गया तो भी किसी प्रकार का विवाद शेष नहीं रहता है अब प्रश्न यह कि उक्त निर्णय की अपील उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के यहां धारा 75 एलआर एक्ट के तहत करने पर उक्त पत्रावली को भी गलत तरीके से निर्णित किया गया क्योंकि तहसीलदार के निर्णय दाखिल के खिलाफ अपील उपखण्ड अधिकारी के यहां मेन्टिबल नहीं है तथा एडीएम भरतपुर के यहां होती तो इसी विनाय पर भी वादपत्र काबिल खारिजी के है इसके अलावा भी यह तथ्य वादीगण द्वारा छिपाया गया है उक्त निर्णय 14.12.1992 के खिलाफ भी एक अपील संभागीय आयुक्त जयपुर के यहां करने पर उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 27.05.1994 द्वारा उपखण्ड अधिकारी के निर्णय में संशोधन कर यह निर्देश दिया कि तहसीलदार नदबई हिन्दू उत्तराधिकार एक्ट के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए तथा वारिसों की पुनः जांच कर निर्णय करें तथा क्या अलग कार्ड होने से कस्टोडियन प्रविष्टियों में किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। इस प्रकार उक्त निर्णयों की पालना वादीगण ने तहसीलदार नदबई से आज तक नहीं कराई है तथा अदालत श्रीमान में यह दावा गलत रूप से प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिजी के है। मृतक पिता द्वारा छोडी गई चल व अचल संपत्ति में सभी वारिसानों का समान रूप से अधिकार प्राप्त होता है वादीगण के पिता/बाबा भानाराम द्वारा कोई लिखित सबूत पेश नहीं है जिससे प्रतिवादीगण को उसकी संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पिता की मृत्योपरांत स्वयं अर्जित व पैतृक संपत्ति में समान रूप से वादीगण एवं प्रतिवादीगण का अधिकार बनता है।

3. यह कि जब मुताबिक विरासतन वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हं तो वादीगण को किसी प्रकार की धमकी देने का प्रश्न ही नहीं उठता है और न ही गैर खातेदारी की भूमि का विक्रय भी नहीं हो सकता है इसी विनाय पर वादपत्र काबिल खारिजी के है।
4. यह कि इंतकाल संख्या 988 की अपील संभागीय आयुक्त द्वारा निर्णित हो चुकी है तो पुनः दावा लाने का वादीगण को कोई कानूनन हक प्राप्त नहीं है।
5. यह कि कस्टोडियन भूमि का केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के कानूनों का निरसन हो चुका है केवल निष्क्रान्त भूमि के स्थायी आवंटन नियम 1963 ही प्रभाव में है। कोई भी कस्टोडियन भूमि खातेदार या गैर खातेदार दर्ज होने के उपरान्त कस्टोडियन भूमि नहीं रह जाती है तथा उस पर पक्षकारों के मध्य विवाद उत्पन्न होने पर, हिन्दू उत्तराधिकार एक्ट 1956 के प्रावधान लागू होते

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

हैं तथा सिर्फ राजस्व अधिकारी व न्यायालयों को निर्णित करने का अधिकार प्राप्त होता है।

6. यह कि रिकॉर्डेड सहखातेदार को मुकदमा पक्षकार नहीं बनाया गया है लिहाजा वादपत्र काबिल खारिजी के है। अतः प्रार्थना है कि वादपत्र वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जाए।

वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2070–73 वाके कस्बा नदबई प्रथम प्रदर्श 1 लगायत 4, नकल जमाबंदी संवत 2043–46 वाके कस्बा नदबई प्रदर्श 4 लगायत 6, नकल जमाबंदी संवत 2038–41 वाके कस्बा नदबई प्रदर्श 7, नकल परिवार कार्ड मन्साराम एवं भानाराम, फोटोप्रति नामान्तरकरण संख्या 988 दिनांक 01.06.86, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060, नकल इंतकाल संख्या 2191 किता 2 पेश किए गए। मौखिक साक्ष्य के रूप में अशोक कुमार पुत्र टालाराम जाति खत्री पंजाबी निवासी कस्बा नदबई पीडब्लू 1, बिजेन्द्र सिंह पुत्र नौबत सिंह जाति माली निवासी कस्बा नदबई पीडब्लू 2 पेश किए गए जिनसे जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई। वादी अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टान्त के तौर पर माननीय उच्च न्यायालय जम्मू एण्ड कश्मीर एवं लद्दाख का निर्णय दिनांक 24.07.2025 पेश किया गया।

प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाव दावा के समर्थन में नकल खसरा गिरदावरी एवं फोटोप्रति निर्णय न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर पेश किए गए। मौखिक साक्ष्य के रूप में प्रीतमलाल पुत्र मंसाराम जाति पंजाबी निवासी कस्बा नदबई डीडब्लू 1 एवं महेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल जाति पंजाबी निवासी कस्बा नदबई डीडब्लू 2 पेश किए गए जिनसे जिरह वादी अधिवक्ता द्वारा की गई। प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टान्त के तौर पर माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर का निर्णय अपील इन्दिरा सिंह एवं अन्य बनाम जांगिर सिंह एवं अन्य आरआरटी 2023 (2) पेश किया गया।

वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाव दावा के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नांकित तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादी विवादित आराजीयात वादीगण के पिता व बाबा से प्राप्त हुई है?
—जिम्मेवादीगण
2. आया वादीगण शरणार्थी की हैसियत से पाकिस्तान से भारत आए थे जिसके आधार पर फैमिली कार्ड बनाकर जमीन आवंटित की गई। उसी के आधार पर गैर खातेदारी व खातेदारी आज तक राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है?
—जिम्मेवादीगण
3. आया वादी आराजी संबंधित इं0सं0 988 खाता संख्या 571, 577, 573 दिनांक 01.06.86 विरासतन मृतक भानाराम पुत्र साधुराम की विरासत उसके वारिसान के नाम तहसीलदार नदबई द्वारा राजस्व अभियान दिनांक 01.06.86 में निर्णित की गई। जिसकी अपील निर्णय दिनांक 14.12.1992 एसडीएम

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

भरतपुर श्री दिनेश यादव द्वारा अंतर्गत धारा 75 एलआर एक्ट के तहत सुनवाई की गई? —जिम्मेवादीगण

4. तहसीलदार नदबई को केवल मृतक के परिवार कार्ड में अंकित पुनर्वास संबंधित परिजनों की जांच कर पुनः दाखिल खारिज संबंधित कार्यवाही निर्णित करने के लिए पत्रावली रिमाइन्ड की थी? —जिम्मेवादीगण

5. आया वादी रिमाइन्ड के बाद आदिनांक तक पत्रावली का निर्णय नहीं हो सका है और दाखिल खारिज पूर्ववत् स्थिति में अंकित होने के कारण वादीगण के हकों के विपरीत है? —जिम्मेवादीगण

6. आया वादीगण के पिता भानाराम की जायदाद में मंसाराम द्वारा दोतरफा लाभ लेकर विरासतन हक लेकर गलत राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम अंकन करा लिया है जो काबिल कलमजन के है? —जिम्मेवादीगण

7. आया वादी विवादित आराजीयात में न्यारानूर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है? —जिम्मेवादीगण

8. आया वादी भानाराम व मंसाराम दोनों के परिवार कार्ड अलग—अलग शरणार्थी बतौर पूर्व से ही बने हुए हैं और उसी के अनुसार विभाजन अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं? —जिम्मेवादीगण

9. आया प्रतिवादीगण निर्णय अपील अति0 संभागीय आयुक्त जयपुर दिनांक 27.05.1994 की पालना जरिए तहसीलदार जरिए तहसीलदार नदबई द्वारा ही नहीं कराई है। इसी आधार पर वादपत्र मैंटेबिल नहीं होने के कारण काबिल खारिजी के है? —जिम्मेप्रतिवादीगण

10. आया प्रतिवादी इंतकाल संख्या 988 की अपील संभागीय आयुक्त द्वारा निर्णित हो चुकी है तो दावा पुनः लाने का कोई कानूनी हक प्राप्त नहीं है, दावा काबिल खारिजी के है? —जिम्मेप्रतिवादीगण

11. आया प्रतिवादी कस्टोडियन भूमि का केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के कानूनों का निरसन हो चुका है केवल निष्क्रान्त भूमि के स्थायी आवंटन के नियम 1963 ही प्रभाव में है? —जिम्मेप्रतिवादीगण

12. आया प्रतिवादी कोई भी कस्टोडियन भूमि गैर खातेदार व खातेदार दर्ज होने के बाद कस्टोडियन भूमि नहीं रह जाती है? —जिम्मेप्रतिवादीगण

13. आया प्रतिवादी हिन्दू एक्ट 1956 के प्रावधान लागू होते हैं तथा राजस्व अधिकारी व न्यायालय को निर्णित करने का अधिकार प्राप्त होता है? —जिम्मेप्रतिवादीगण

14. रिकॉर्डेड सहखातेदारान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है इसलिए वादपत्र काबिल खारिजी के है? —जिम्मेप्रतिवादीगण

15. आया प्रतिवादी विवादित आराजी बाबत् हम दोनों पक्षकारान वादी व प्रतिवादीगण ने मुआवजा प्राप्त कर लिया है? —जिम्मेप्रतिवादीगण

हमने वादीगण व प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अन्तिम सुनी। वादी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

रहे कि विवादित आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी है जिस पर सभी मनबट से काश्त करते चले आ रहे हैं। इस आराजी संबंधित इन्तकाल संख्या 988 जो खाता संख्या 571, 577, 573 दिनांक 01.06.1986 विरासतन मृतक भानाराम पुत्र साधूराम की विरासत उसके वारिसान के नाम तहसीलदार नदबई द्वारा राजस्व अभियान दिनांक 01.06.1986 में निर्णित की गई थी जिसकी अपील निर्णय दिनांक 14.12.1992 एसडीएम भरतपुर दिनेश कुमार यादव द्वारा अंतर्गत धारा 75 एलआर एक्ट के तहत सुनवाई कर तहसीलदार नदबई को केवल मृतक के परिवार कार्ड में अंकित पुनर्वास संबंधित परिजनों की जांच कर पुनः दाखिला खारिज संबंधित कार्यवाही निर्णित करें इस आशय से पत्रावली रिमांड की गई थी क्योंकि आज तक इस पत्रावली का निर्णय नहीं हो सका है और वो दाखिल खारिज पूर्ववत स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में अंकित होने के कारण वादीगण के हकों के विपरीत प्रतिवादी संख्या 1 व 2 नाजायज फायदा उठाकर पुर्नवास कार्ड की अनेदेखी कर जो कार्ड संख्या 562 भानाराम पुत्र साधूराम व उसमें अंकित वारिसान टालाराम, मेवाराम व केसरदास व देवीबाई व अमृत बाई पुत्री करमाबाई पत्नी अंकित है। इसी प्रकार कार्ड संख्या 563 मंसाराम पुत्र भानाराम व उसमें अंकित वारिसान विद्याबाई पत्नी व कान्तादेवी पुत्री अंकित है। भानाराम व मंसाराम पाकिस्तान से शरणार्थी बतौर दोनों अलग–अलग परिवार से कायम होकर अलग अलग जमीन खातेदारी प्राप्त की थी। मंसाराम द्वारा दौतरफा चाल चलकर वादीगण के पिता भानाराम की जायदाद में विरासतन हक लेकर बदनीयती पूर्ण तरीके से राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम अंकित करा लिया जबकि पाक विस्थापित को Displaced persons (Compensation & Rehabilitation) Act, 1954 के अंतर्गत दी गई भूमि व्यक्तिगत पुनर्वास लाभ की श्रेणी में आती है। अलग परिवार कार्ड एवं अलग आवंटन होने की स्थिति में पारिवारिक संयुक्तता समाप्त मानी जाती है। जिसने स्वतंत्र रूप से पुनर्वास भूमि प्राप्त कर ली हो वह पुनः पिता की भूमि में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसार विवादित आराजी का दाखिल खारिज जरिए विरासतन किया गया था जिससे आधार पर प्रतिवादीगण को भानाराम की भूमि में भी हिस्सा दिया गया था वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है एवं कानूनी रूप से भी न्यायोचित नहीं है क्योंकि प्रतिवादी मंसाराम को उक्त अधिनियम के तहत अलग परिवार कार्ड के आधार पर अलग भूमि आवंटित की गई थी। अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में कलमजन किए जाएं।

प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान जबाव दावा में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं कथन रहे कि इंतकाल संख्या 988 दिनांक 01.06.1986 विरासतन पैतृक भानाराम के वारिसों के नाम तहसीलदार नदबई द्वारा दर्ज कर निर्णित किया गया तो भी किसी प्रकार का विवाद शेष नहीं रहता है अब प्रश्न यह कि उक्त निर्णय की अपील उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के यहां धारा 75 एलआर एक्ट के तहत करने पर उक्त पत्रावली को भी गलत तरीके से निर्णित किया गया क्योंकि तहसीलदार के निर्णय दाखिल के खिलाफ अपील उपखण्ड अधिकारी के यहां मेन्टिबल नहीं है तथा एडीएम भरतपुर के यहां होती तो इसी

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

विनाय पर भी वादपत्र काबिल खारिजी के है इसके अलावा भी यह तथ्य वादीगण द्वारा छिपाया गया है उक्त निर्णय 14.12.1992 के खिलाफ भी एक अपील संभागीय आयुक्त जयपुर के यहां करने पर उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 27.05.1994 द्वारा उपखण्ड अधिकारी के निर्णय में संशोधन कर यह निर्देश दिया कि तहसीलदार नदबई हिन्दू उत्तराधिकार एक्ट के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए तथा वारिसों की पुनः जांच कर निर्णय करें तथा क्या अलग कार्ड होने से कस्टोडियन प्रविष्टियों में किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। इस प्रकार उक्त निर्णयों की पालना वादीगण ने तहसीलदार नदबई से आज तक नहीं कराई है तथा अदालत श्रीमान में यह दावा गलत रूप से प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिजी के है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पिता की मृत्योपरांत स्वयं अर्जित व पैतृक संपत्ति में समान रूप से अधिकार होता है। भानाराम द्वारा अपने जीवनकाल में ऐसी कोई वसीयत नहीं की जिससे साबित होता हो कि हम प्रतिवादीगण का उक्त विवादित आराजी पर अधिकार नहीं होगा। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में निहित प्रावधानों के अनुसार पिता की समस्त चल अचल संपत्ति में उसके समस्त विधिक वारिसों का अधिकार निहित होता है। इसी अनुरूप इंतकाल संख्या 988 दिनांक 01.06.1986 दर्ज किया गया है जिसमें तहसीलदार नदबई द्वारा उचित कार्यवाही करते हुए विधिक वारिसानों के नाम ही दाखिल खारिज किया गया है। अतः दावा वादी मय खर्चा खारिज किया जाए।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया तदुपरान्त तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है–

1. आया वादी विवादित आराजीयात वादीगण के पिता व बाबा से प्राप्त हुई है। –उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2038–41 प्रदर्श 7 अनुसार विवादित आराजी वादपत्र वादीगण के पिता व बाबा भानाराम पुत्र साधुराम शरणार्थी के रूप में दर्ज रिकॉर्ड रही है। अतः उक्त तनको वादी के हक में तय की जाती है।
2. आया वादीगण शरणार्थी की हैसियत से पाकिस्तान से भारत आए थे जिसके आधार पर फैमिली कार्ड बनाकर जमीन आवंटित की गई। उसी के आधार पर गैर खातेदारी व खातेदारी आज तक राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2038–41 प्रदर्श 7 अनुसार विवादित आराजी वादपत्र भानाराम पुत्र साधुराम शरणार्थी के रूप में दर्ज रिकॉर्ड रही है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यवादी शपथ पत्र अनुसार वादीगण के पूर्वजों को उक्त विवादित आराजी बतौर शरणार्थी पाकिस्तान से आने पर पुनर्वास अधिनियमों के तहत परिवार कार्ड के आधार पर आवंटित की गई। अतः उक्त तनकी वादी के हक में तय की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

3. आया वादी आराजी संबंधित इं0सं0 988 खाता संख्या 571, 577, 573 दिनांक 01.06.86 विरासतन मृतक भानाराम पुत्र साधुराम की विरासत उसके वारिसान के नाम तहसीलदार नदबई द्वारा राजस्व अभियान दिनांक 01.06. 86 में निर्णित की गई। जिसकी अपील निर्णय दिनांक 14.12.1992 एसडीएम भरतपुर श्री दिनेश यादव द्वारा अंतर्गत धारा 75 एलआर एक्ट के तहत सुनवाई की गई– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण का था। उक्त तनकी में निहित तथ्यों को प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाव दावा में स्वीकार किया गया है एवं वादीगण द्वारा भी अपने वादपत्र में अंकित किया गया है। अतः उक्त तनकी भी वादीगण के हक में तय की जाती है।

4. तहसीलदार नदबई को केवल मृतक के परिवार कार्ड में अंकित पुनर्वास संबंधित परिजनों की जांच कर पुनः दाखिल खारिज संबंधित कार्यवाही निर्णित करने के लिए पत्रावली रिमाइन्ड की थी।

5. आया वादी रिमाइन्ड के बाद आदिनांक तक पत्रावली का निर्णय नहीं हो सका है और दाखिल खारिज पूर्ववत् स्थिति में अंकित होने के कारण वादीगण के हकों के विपरीत है। उक्त तनकी संख्या 4 व 5 को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 14.12.92 के अनुसार तहसीलदार नदबई को प्रेषित किया गया कि पुनर्वास नियमों के अंतर्गत केवल मृतक के परिवार कार्ड (पुनर्वास संबंधी) में अंकित परिजनों की जांच कर पुनः दाखिल खारिज संबंधी कार्यवाही की जाए। उक्त निर्णय की पालना आदिनांक तक नहीं की जा सकी जिसके कारण दाखिल खारिज पूर्ववत् स्थिति में अंकित है। मृतक के परिवार कार्ड में अंकित पुनर्वास संबंधित परिजनों की जांच कर पुनः दाखिल खारिज संबंधित कार्यवाही आदिनांक तक लंबित है। अतः उक्त तनकी भी वादीगण के हक में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

6. आया वादीगण के पिता भानाराम की जायदाद में मंसाराम द्वारा दोतरफा लाभ लेकर विरासतन हक लेकर गलत राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम अंकन करा लिया है जो काबिल कलमजन के है।
7. आया वादी विवादित आराजीयात में न्यारानूर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।
8. आया वादी भानाराम व मंसाराम दोनों के परिवार कार्ड अलग–अलग शरणार्थी वतौर पूर्व से ही बने हुए हैं और उसी के अनुसार विभाजन अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

उक्त तनकी संख्या 6, 7, 8 को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 2 वादपत्र वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

मृतक भानाराम को पाक विस्थापित को Displaced persons (Compensation & Rehabilitation) Act, 1954 के अंतर्गत दी गई भूमि थी एवं भानाराम की मृत्यु पश्चात् उक्त विवादित भूमि जरिए इंतकाल संख्या 988 उसके वारिसानों वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई। वादीगण का दावा के संबंध में मुख्य बिन्दु यह है कि मंसाराम का परिवार कार्ड संख्या 563 अलग बना हुआ था एवं भानाराम का परिवार कार्ड संख्या 562 अलग था एवं भानाराम व मंसाराम पिता–पुत्र थे। परिवार कार्ड में अंकित सदस्यों की संख्यानुसार ही भूमि/रकबा पुनर्वास हेतु आवंटित की गई थी। वादीगण के बाबा भानाराम एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता मंसाराम को अलग–अलग परिवार कार्ड के आधार पर स्व–स्वामित्व की भूमि आवंटित की गई थी परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा बाबा भानाराम को आवंटित भूमि में से भी हिस्सा प्राप्त किया गया है। प्रतिवादीगण का मुख्य तर्क यह है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1954 के प्रावधानों के तहत ही उक्त विवादित आराजीयात का दाखिल खारिज इंतकाल संख्या 988 द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम किया गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण के उक्त तर्कों एवं बहस के मनन व अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 2 वादपत्र वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज भानाराम को पाक विस्थापित शरणार्थी के रूप में Displaced persons (Compensation & Rehabilitation) Act, 1954 के तहत प्राप्त हुई थी। जिसको भानाराम की मृत्योपरांत वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। भानाराम का परिवार कार्ड संख्या 562 उसमें अंकित सदस्यों को एक यूनिट मानते हुए बनाया गया था एवं उसी आधार पर आनुपातिक रूप से भूमि उक्त अधिनियम के तहत आवंटित की गई थी एवं पुत्र मंसाराम का परिवार कार्ड संख्या 563 उसमें अंकित सदस्यों को एक यूनिट मानते हुए बना था एवं भूमि आवंटित की गई थी। वादी का यह कथन कि अलग परिवार कार्ड एवं अलग आवंटन होने की स्थिति में पारिवारिक संयुक्तता समाप्त मानी जाती है। जिसने स्वतंत्र रूप से पुनर्वास भूमि प्राप्त कर ली हो वह पुनः पिता की भूमि में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त माननीय उच्च न्यायालय जम्मू एण्ड कश्मीर एवं लद्दाख का निर्णय दिनांक 24.07.2025 स्पष्ट तौर पर इस कथन की पुष्टि करता है। "The allotment of land under Cabinet decision no. 578-C of 1954 to displaced persons from other side of Cease Fire Line (now Line of Actual Control) did not confer ownership rights on an allottee. The authorities involved in relief and rehabilitation of displaced persons did not make allotment of land in favour of such persons individually. The allotment was made to the families so that whole family as a unit was rehabilitated and could cultivate the land for its sustenance. **Rule 15-B lays the mode and manner in which allotted land is to pass in case death of person in**

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

whose name it was initially allotted. Since initial allotment was made to the family to keep allotment procedure in tune with the initial object, allotted land is to devolve by survivorship rather than inheritance. The allotted land goes to the surviving members of the family who were present and part of the family at the time of initial allotment and to such person(s) who became part of the family because of marriage or adoption etc. Similarly those who left the family because of marriage and adoption are not to have any part of the land devolving by survivorship." अर्थात पाक विस्थापित व्यक्तियों को आवंटित भूमि उस व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में हस्तांतरित होगी जिनके नाम पर इसे आरंभ में आवंटित किया गया था। चूंकि प्रारंभिक आवंटन परिवार को आवंटन प्रक्रिया को मूल उद्देश्य के अनुरुप रखने के लिए किया गया था, इसलिए आवंटित भूमि उत्तराधिकार के बजाय उत्तरजीविता के आधार पर हस्तांतरित होगी। आवंटित भूमि परिवार के उन जीवित सदस्यों को जाती है जो प्रारंभिक आवंटन के समय उपस्थित थे और परिवार का हिस्सा था, और ऐसे व्यक्तियों को जो विवाह या गोद लेने आदि के कारण परिवार का हिस्सा बने इसी प्रकार, जो लोग विवाह और गोद लेने के कारण परिवार छोड़ गए हैं उन्हें भूमि का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। उत्तराधिकार के आधार पर भूमि का हिस्सा हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा उक्त तनकीयों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त के तौर पर माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर का निर्णय अपील इन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम जांगिर सिंह एवं अन्य आरआरटी 2023 (2) पेश किया गया। उक्त प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने यह निर्णय पारित किया कि **वादीगण एवं प्रतिवादी के पिता जेठासिंह को बतौर पुनर्वास हेतु भारत सरकार द्वारा वादग्रस्त भूमि आवंटित की गई थी जो कि परिवार के सदस्यों के आधार पर ही आवंटित की गई थी। Displaced persons (Compensation & Rehabilitation) Act, 1954 के अनुसार विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास हेतु भूमि का आवंटन किया जाता है। यह आवंटन परिवार को सामूहिक रूप से परिवार के भरण पोषण के लिए किया जाता है तथा इसी आधार पर परिवार के सभी सदस्यों के नाम सनद में सम्मिलित किए गए हैं। पुर्नविस्थापित व्यक्तियों को उक्त अधिनियम के तहत आवंटित भूमि परिवार के सभी सदस्यों की भूमि मानते हुए सभी सदस्यों का वाहिस्सा बराबर अंकित किया जाएगा।**

प्रतिवादीगण द्वारा जो नजीर पेश की गई है वह यह सिद्ध करती है कि "पुनर्वास अधनियम के तहत आवंटित भूमि परिवार में उपस्थित सदस्यों के आधार पर ही आवंटित की गई थी जिस पर परिवार के सभी सदस्यों का वाहिस्सा बराबर अधिकार होगा।" परन्तु दावा वादीगण उक्त तथ्य के ठीक उलट है जिसमें वादीगण के बाबा मानाराम व प्रतिवादीगण के पिता मंसाराम को

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

अलग–अलग परिवार कार्ड के आधार पर अलग–अलग भूमि पुनर्वास हेतु आवंटित की गई थी अतः भानाराम के परिवार कार्ड में तत्सयम जो भी सदस्य थे उनको ही आवंटित भूमि में हिस्सा प्राप्त होगा क्योंकि मंसाराम का अलग परिवार कार्ड होने से उसके लिए अलग भूमि आवंटित की गई थी अतः मंसाराम का अपने पिता भानाराम के लिए आवंटित भूमि में हिस्सा प्राप्त नहीं होगा जो कि दोहरे लाभ की श्रेणी के अंतर्गत आता है। उक्त आधार पर आवंटित भूमि पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान गौण रहेंगे। वादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त उक्त तनकीयों का वादीगण के हक में तय किए जाने की पूर्णतः पुष्टि करते हैं एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त उक्त तनकीयों के प्रतिवादीगण के हक में समर्थन करने हेतु चस्पा नहीं होती है। अतः उक्त तनकी संख्या 6, 7, 8 वादीगण के हक में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

9. आया प्रतिवादीगण निर्णय अपील अति0 संभागीय आयुक्त जयपुर दिनांक 27.05.1994 की पालना जरिए तहसीलदार जरिए तहसीलदार नदबई द्वारा ही नहीं कराई है। इसी आधार पर वादपत्र मैंटेबिल नहीं होने के कारण काबिल खारिजी के है।
10. आया प्रतिवादी इंतकाल संख्या 988 की अपील संभागीय आयुक्त द्वारा निर्णित हो चुकी है तो दावा पुनः लाने का कोई कानूनी हक प्राप्त नहीं है, दावा काबिल खारिजी के है।
11. आया प्रतिवादी कस्टोडियन भूमि का केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के कानूनों का निरसन हो चुका है केवल निष्क्रान्त भूमि के स्थायी आवंटन के नियम 1963 ही प्रभाव में है।
12. आया प्रतिवादी कोई भी कस्टोडियन भूमि गैर खातेदार व खातेदार दर्ज होने के बाद कस्टोडियन भूमि नहीं रह जाती है।
13. आया प्रतिवादी हिन्दू एक्ट 1956 के प्रावधान लागू होते हैं तथा राजस्व अधिकारी व न्यायालय को निर्णित करने का अधिकार प्राप्त होता है। उक्त तनकी का विवेचन तनकी संख्या 6 लगायत 8 के निर्णय में किया जा चुका है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एवं वादीगण के हक में तय की जाती है।
14. रिकॉर्डेड सहखातेदारान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है इसलिए वादपत्र काबिल खारिजी के है।
15. आया प्रतिवादी विवादित आराजी बाबत् हम दोनों पक्षकारान वादी व प्रतिवादीगण ने मुआवजा प्राप्त कर लिया है।

उक्त तनकी संख्या 9 लगायत 12 एवं 14, 15 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। उक्त तनकियों के समर्थन में प्रतिवादीगण द्वारा कोई ऐसा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया। जिस कारण उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती हैं। उक्त तनकीवार विवेचन के आधार

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

पर दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है।

::आदेश::

विवादित्त आराजी खाता संख्या 565 के खसरा नंबर 1886 रकबा 0.04, 1893 रकबा 0.43 व खाता संख्या 695 के खसरा नंबर 862 रकबा 0.48, 863 रकबा 0.61, खाता संख्या 768 के खसरा नंबर 833 रकबा 1.19, 1887 रकबा 0.03, 1888 रकबा 0.01, 1921 रकबा 0.67 हैक्टेयर वाके कस्बा नदबई प्रथम तहसील नदबई में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम को राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 लगायत 4 के साथ वादीगण संख्या 5 लगायत 9 (मूल वादपत्र अनुसार) व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 का नाम वाहिस्सा बराबर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाए। उक्त विवादित आराजी के खातेदार/गैर खातेदार का अंकन पूर्व की भांति बदस्तूर रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/12/25 को लिख जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार हो नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सचिन यादव (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, नदबई
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)